

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक6.10.2021

विषय- सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का सचिव/विभागाध्यक्ष के पद पर संविदा नियोजन नहीं किये जाने तथा संविदा नियोजित सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन का प्रावधान है।

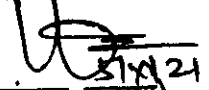
2. संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-4 में प्रावधान है कि-संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-17/विविध-03-03/2017 सा0प्र0-9697 दिनांक-31.08.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-4 के आलोक में संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारियों से उनको प्रदत्त पदीय शक्तियों के अनुरूप कार्य लिया जा सकता है।

4. उल्लेखनीय है कि सचिव/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत पदाधिकारी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित रहते हैं। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किया जाना उचित नहीं है।

5. साथ ही उपर्युक्त संकल्प के प्रावधानों के आलोक में संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्तियाँ दिया जाना भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
6. वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्णय लिया गया है कि—
- (क) (i) संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में सचिव/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का नियोजन नहीं किया जाय।
- (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्ति संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को नहीं दी जाय।
- (iii) अत्यन्त विशेष परिस्थिति में यदि संविदा पर नियोजित सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति दिये जाने के लिए प्रशासी विभाग की बाध्यता हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय शक्ति दिये जाने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-17/विवि-03-03/2017सा0प्र0-9697 दिनांक-31.08.2021 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।
7. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका-6 के अनुरूप कार्रवाई करने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।